संख्याः 17/2025/128/35-4-2025/35-4099/71/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 06 फरवरी,2025

विषयः त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कतिपय कार्य के निरस्तीकरण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-बाँदा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश सं0-संख्या-481/2023/1147/ 35-4-2023 दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा स्वीकृत 07 कार्यों में से उक्त शासनादेश के क्रमांक-2 पर अंकित कार्य यथा-विकास खण्ड नरैनी के ग्राम पंचायत पुरैनिया से लालपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (लं0-0.800 किमी0) की रू. 64.26 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रू. 32.13 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- जिलाधिकारी, बाँदा द्वारा पत्र संख्या-793/त्व0आ0वि0यो0/2023-24 दिनांक 01.01.2025 द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश के क्रमांक-2 पर अंकित कार्य की स्वीकृति बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) योजनांतर्गत हो जाने के कारण निरस्त किये जाने की संस्तुति के क्रम में एतद्द्वारा उक्त कार्य की स्वीकृति को निम्नशर्तों के अधीन निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उपर्युक्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि रू. 32.13 लाख नियमानुसार राजकोष के सुसंगत खाते में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति सहित सूचना नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः 17/2025/128(1)/35-4-2025/35-4099/71/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रमीण अभियंत्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रमीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बाँदा।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाँदा।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- सम्बंधित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाँदा।
14- अधिशासी अभियन्ता, ग्रमीण अभियंत्रण विभाग, बाँदा।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।